5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0
जिला ग्वालियर

निग-2655-PBR-16

प्र. क्र. निगरानी / /अध्यक्ष / 2016

श्रीमती रचना गंगवानी पत्नी श्री मुरलीधर गगवानी निवासी ए–23 समाधियॉ कॉलोनी लश्कर ग्वालियर म0प्र0 ......प्रार्थी

बनाम

1 म0प्र0शासन

2 नरेश कुशवाह पुत्र स्व0श्री गोविदसिंह कुशवाह निवासी गिरवाई महात्मा गॉधी स्कूल के पास ए0बी0रोड़ ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

दिनांक 6-8-16 को श्री विवेक श्रीवास्तव अभि0 द्वारा प्रस्तुत।
6-8-16
SO

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी लश्कर (राजस्व) ग्वालियर के प्रकरण कमांक 16 / 2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक18.07.2016 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2655–पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.16	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18–7–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि आपत्तिकर्ता अनावेदक कमांक 2 सर्वे नम्बर 911 की भूमि को अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि बता रहा है और आवेदिका द्वारा भी उक्त सर्वे नम्बर को अपने स्वत्व की भूमि बताई जा रही है, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आपत्तिकर्ता अनावेदक कमांक 2 को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाये । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार बनाये जाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	